

प्रारूप - 2

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण-

- (क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण - भटाड़ पे0यो0।
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप - संलग्न है।
(ग) परियोजना की लागत -
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य - स्रोत व पाइप लाइन आरक्षित वन क्षेत्र से गुजरने है।
(ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए) - लागू नहीं।
(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है - लागू नहीं।

कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण-

परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है-

- (क) परिवारों की संख्या - लागू नहीं।
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या - लागू नहीं।
(ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) - लागू नहीं।

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)
प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की (वचनबद्धता संलग्न की जाये) निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित का ब्यौरा।

दिनांक 2-12-19 स्थान- विकासनगर



हस्ताक्षर

(एस0के0 बर्नवाल)

अधिशाली अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता,

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम,

विकासनगर, नियर पुल न0-1

शासकीय मुद्रा

प्रारूप - 3

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति-

- | | | |
|--|---|------------------|
| (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| (ख) जिला | - | देहरादून |
| (ग) जिला वन प्रभाग | - | चकराता वन प्रभाग |
| (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र | | |

2. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-

- | | | |
|--|---|-----------------|
| (क) वन का प्रकार | - | आरक्षित वन भूमि |
| (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व | - | 0.01 |
| (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना | - | लागू नहीं |
| (घ) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा | - | लागू नहीं |

4. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - लागू नहीं

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - लागू नहीं

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता।

- (क) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा - लागू नहीं
- (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - लागू नहीं
- (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - लागू नहीं
- (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रावास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - लागू नहीं
- (ङ) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि है, तो उसके ब्यौरे - लागू नहीं

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे) - लागू नहीं

8. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें-

(क) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है - लागू नहीं

(ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है - लागू नहीं

9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे-

- (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ख) यदि हां, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और कार्यवाही।
- (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - नहीं

10. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे-

- (क) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति - लागू नहीं

- 1 11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं) - लागू नहीं

- [illegible]

(पवि चन्द्र आर्षे)

दिनांक

12-2-2020

हस्ताक्षर

शासकीय मुद्रा

प्रारूप - 4भाग - 3

1. क्या स्थल, जां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है, उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं), यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाए।
2. क्या वन संरक्षक भाग- 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत है।
3. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की निविर्दिष्ट सिफारिशें।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा